भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5641

दिनांक 27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मोटापे के कारण मृत्यु

†5641. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मोटापे या अधिक वजन के कारण होने वाली मृत्यु से संबंधित आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और लिंग-वार ऐसी मृत्यु की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास मोटापे से संबंधित हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसे गैर-संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां इन रोगों से सर्वाधिक मृत्यु होती है; और

(घ) देश में मोटापे के कारण बढ़ती मृत्यु दर से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग) मोटापा गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए एक प्रमुख रूपांतरित जैविक जोखिम कारक है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2023 में प्रकाशित "राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (2023-2030) के परिचालन दिशानिर्देश" के अनुसार, देश में होने वाली सभी मौतों में से 63% गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के कारण होने का अनुमान है।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत देश भर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए बुनियादी

ढांचे को मजबूत करने, मानव संसाधन विकास, स्क्रीनिंग, शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित है। राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 479 जिला डे केयर सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6,410 एनसीडी क्लीनिक और 233 कार्डियक केयर यूनिट स्थापित किए गए हैं।

गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग के लिए देश भर में जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सामान्य एनसीडी की स्क्रीनिंग के लिए लक्षित किया गया है।

सामुदायिक स्तर पर आरोग्य कार्यकलाप और लक्षित संचार को बढ़ावा देकर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत एनसीडी के निवारक पहलू को मजबूत किया जा रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाता है। फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं, और आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।
